## केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16:9873/15644 08 02 2023

## विषय: खिलौनों की सुरक्षा के लिए संशोधित उत्पाद नियमावली

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ मे है।
- 2) खिलौनों की सुरक्षा के लिए संशोधित उत्पाद नियमावली BIS वैबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information→ Product Manual" के अंदरहोस्ट कर दिया गया है
- 3) उत्पाद नियमावली को ध्वनिक आवश्यकताओं (आईएस 9873 (भाग 1): 2019 का CI. 4.29) के परीक्षण के लिए आवृत्ति में छूट देने के लिए ( महीने में एक बार से छह महीने में एक बार (या जब भी डिजाइन में कोई बदलाव होता है)) संशोधित किया गया है।
- 4) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमे SIT भी संयुक्त है, को आवेदकों एवं अनुज्ञप्तिधारकों को 7 दिन के भीतर भेजें।

(आदित्य दास) वैज्ञानिक-डी

प्रमुख, (कं.मु.वि.-2) उपमहानिदेशक(प्रमाणन) क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

## **CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2**

Our Ref: CMD-2/G-73/16: 9873/15644 08 02 2023

Subject: Revised product manual for safety of toys

- 1. This has reference to the subject mentioned above.
- 2. The approved revised Product Manual for safety of toys has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information→ Product Manual". (PM/ 9873/10 Feb 2023)
- 3. The product manual has been revised to relax the frequency for the test for Acoustic requirements (Cl 4.29 of IS 9873 (Part 1):2019) from once a month to once in six months (or whenever there is a change in design of toy)
- 4. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all licensees and applicants within 7 days.

(Aditya Das) Scientist-D

Head (CMD 2)
DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet